

न्यायालय जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
मुन्तकिली प्रकरण संख्या 88/2024 (GCMS : 2024/124)

1. गुरतेज सिंह पुत्र जंग सिंह जाति तरखान निवासी 6 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
2. बलजीत सिंह पुत्र सरवन सिंह जाति तरखान निवासी 6 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), पदमपुर
2. कर्मजीत कौर पुत्री हरदयाल सिंह जाति तरखान निवासी 6 बीबी तहसील पदमपुर
3. गुरजन्त सिंह पुत्र पूर्ण सिंह जाति तरखान निवासी 6 बीबी, तहसील पदमपुर
4. गुरप्रीत सिंह पुत्र हरदयाल सिंह जाति तरखान निवासी 6 बीबी, तहसील पदमपुर
5. गिन्दर कौर पुत्री काका सिंह जाति तरखान निवासी 6 बीबी, तहसील पदमपुर
6. गिन्दो पुत्री पूर्ण सिंह जाति तरखान निवासी 6 बीबी, तहसील पदमपुर
7. चैन कौर पुत्री काका सिंह जाति तरखान निवासी 6 बीबी, तहसील पदमपुर
8. चरनकौर पुत्री काका सिंह जाति तरखान निवासी 6 बीबी, तहसील पदमपुर
9. छिन्द्र कौर पुत्री काका सिंह जाति तरखान निवासी 6 बीबी, तहसील पदमपुर
10. जगजीत सिंह पुत्र काका सिंह जाति तरखान निवासी 6 बीबी, तहसील पदमपुर
11. जगतार सिंह पुत्र गुरतेज सिंह जाति तरखान निवासी 6 बीबी, तहसील पदमपुर
12. दर्शन सिंह पुत्र पूर्ण सिंह जाति तरखान निवासी 6 बीबी, तहसील पदमपुर
13. निहाल सिंह पुत्र पूर्ण सिंह जाति तरखान निवासी 6 बीबी, तहसील पदमपुर
14. प्रकाश कौर पुत्री काका सिंह जाति तरखान निवासी 6 बीबी, तहसील पदमपुर
15. बख्शीश सिंह पुत्र गुरतेज सिंह जाति तरखान निवासी 6 बीबी, तहसील पदमपुर
16. सन्ता सिंह पुत्र हरयाल सिंह जाति तरखान निवासी 6 बीबी, तहसील पदमपुर
17. स्वर्णजीत कौर पुत्री हरयाल सिंह जाति तरखान निवासी 6 बीबी, तहसील पदमपुर
18. आलम सिंह पुत्र नन्द सिंह जाति तरखान निवासी 6 बीबी, तहसील पदमपुर
19. करनेल सिंह पुत्र नन्द सिंह जाति तरखान निवासी 6 बीबी, तहसील पदमपुर
20. नक्षत्र सिंह पुत्र रतन सिंह जाति तरखान निवासी 6 बीबी, तहसील पदमपुर
21. नन्द सिंह पुत्र रतन सिंह जाति तरखान निवासी 6 बीबी, तहसील पदमपुर
22. हरजीत सिंह पुत्र आलम सिंह जाति तरखान निवासी 6 बीबी, तहसील पदमपुर
23. हरभगवान सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह जाति तरखान निवासी 6 तहसील पदमपुर



24. हरमजन सिंह पुत्र करनेल सिंह जाति तरखान निवासी 6 बीबी, तहसील पदमपुर

18.07.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री अशोक कुमार उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उन्होंने यह प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में लम्बित वाद पत्र अनवानी गुरतेज सिंह आदि बनाम कर्मजीत कौर आदि अन्तर्गत धारा 53, 88, 182, 92ए आरटीए प्रकरण संख्या 125/2024 को सक्षम न्यायालय में मुंतकिली करने के प्रार्थना के साथ अन्तर्गत धारा 235 आरटीए का प्रस्तुत किया था, जिसे वह अब आगे नहीं चलाना चाहता है इसलिए नॉट प्रैस करने की प्रार्थना की है।

मैंने, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में लम्बित प्रकरण संख्या 125/2024 अनवानी गुरतेज सिंह आदि बनाम कर्मजीत कौर आदि अन्तर्गत 53, 88, 182, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्य सक्षम न्यायालय में मुंतकिली करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था, जिसे वे अब आगे नहीं चलाना चाहते हैं इसलिए प्रार्थी गुरतेज सिंह ने पत्रावली की फर्द अहकाम पर अंगूठा लगाया है और जिसकी पहचान प्रार्थी के अधिवक्ता श्री अशोक कुमार ने की है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली तर्तीव तकमील होकर दाखिल दफ़तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(लोक बन्धु)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर